2025:CGHC:47393–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 17–07–2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 16–09–2025

दाण्डिक अपील क्रमांक 1585/2019

1– रविंद्र कृष्ण देवांगन, पिता कृष्ण देवांगन, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– प्रेम नगर, इतवारी शीतला माता मंदिर के पास, नागपुर, थाना– लकड़गंज, नागपुर (महाराष्ट्र)

2– प्रवीण चंद्रशेखर घाटे, पिता चंद्रशेखर गोविंद राव घाटे, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– गोपाल कृष्ण लॉज के बाजू में, वाडेदा रिंग रोड नागपुर, थाना– नंदनवन, नागपुर महाराष्ट्र

3– सनम सुनील ढोमरे, पिता सुनील ढोमरे, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी– नेहरू नगर, प्रजापति नगर, भंडारा रोड, नागपुर, थाना– नंदनवन, नागपुर महाराष्ट्र

--- **अपीलार्थीगण**

(जेल में निरुद्ध)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना– मोहन नगर, दुर्ग, जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़)

--- **प्रत्यर्थी**

दाण्डिक अपील क्रमांक 1981/2019

रवि दादा राव बंसोड़, पिता दादा राव बंसोड़, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी– नेहरू नगर, प्रजापति नगर, भंडारा रोड, नागपुर, थाना– नंदनवन, नागपुर (महाराष्ट्र)

--- **अपीलार्थी**

(जेल में निरुद्ध)

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी– मोहन नगर, दुर्ग, जिला– दुर्ग ,छत्तीसगढ़

--- **प्रत्यर्थी**

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री शैलेंद्र दुबे, सहित सुश्री शिवाली दुबे

एवं श्री जयदीप सिंह यादव, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी की ओर से : आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सी.ए.वी. निर्णय

द्वारा, न्यायमूर्ति रजनी दुबे

1. चूँकि ये दोनों अपीलें पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 7/2016 में दिनांक 1.10.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से प्रोद्भूत हैं, इन्हें इस एक ही निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा, प्रत्येक अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क/34 के अधीन	आजीवन कारावास, ₹10,000/– का अर्थदण्ड और अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 392/34 के अधीन	सात वर्ष का सश्रम कारावास , ₹2,000/– का अर्थदण्ड और अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के अधीन	आजीवन कारावास, ₹2,000/– का अर्थदण्ड और अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समस्त दण्डादेशों को साथ–साथ चलाने हेतु निर्देशित किया गया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 13.07.2015 को शिकायतकर्ता आशीष गोयल ने थाना मोहन नगर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कादंबरी नगर में रहता है और फ्लाई–ऐश ईंटों के निर्माण का व्यवसाय करता है। उसने अपने भाई अमित गोयल के साथ मिलकर बोरसी स्थित अपनी निजी भूमि पर एक मकान बनवाया और उस मकान को बेचने के उद्देश्य से उन्होंने दैनिक भास्कर समाचार पत्र में विज्ञापन दिया था। दिनांक 12.07.2015 को उसके भाई अमित गोयल के मोबाइल पर एक कॉल आई और फोन करने वाले ने उसे बताया कि वह रायपुर से है और उक्त मकान देखना चाहता है। दिनांक 13.07.2015 को दोपहर लगभग 1.15 बजे उसके भाई अमित गोयल को फिर से कॉल आया कि वे रायपुर से आ गए हैं और दुर्ग रेलवे स्टेशन के सामने एक स्विफ्ट कार में इंतजार कर रहे हैं। तत्पश्चात, अमित गोयल अपनी मारुति रिट्ज़ कार में रेलवे स्टेशन के पास ग्रीन चौक के लिए निकल गए। हालांकि, दोपहर 3:36 बजे शिकायतकर्ता को उसके भाई अमित गोयल के मोबाइल से एक फोन आया

कि उसके भाई का व्यपहरण कर लिया गया है और उसे 1–2 घंटे के भीतर 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा गया, अन्यथा उसके भाई की हत्या कर दी जाएगी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, अपराध क्रमांक 282/2015 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/2) पंजीबद्ध की गई।

तत्पश्चात, शिकायतकर्ता और उसके चाचा ने फिरौती की रकम की व्यवस्था की और अभियुक्तगण के निर्देशानुसार रात करीब 10:30 बजे रुपयों से भरा बैग इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक बोर्ड के नीचे रख दिया और सुपेला चौक, भिलाई पहुँच गए। रात करीब 11 बजे अमित गोयल ने शिकायतकर्ता को फोन किया और बताया कि व्यपहरणकर्ताओं ने उसे उरला–रायपुर रोड पर छोड़ दिया है। तत्पश्चात, विवेक गोयल और वैभव गोयल बताए गए स्थान पर पहुँचे और उसे वापस घर ले आए। विवेचना के दौरान, घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी/30 तैयार किया गया और शिकायतकर्ता आशीष गोयल, अमित गोयल व अन्य साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध थाना कुम्हारी में अपराध क्रमांक 174/2015 भी पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान उन्हें अभिरक्षा में लिया गया और अपने मेमोरेंडम कथनों में उन्होंने फिरौती के लिए अमित गोयल के व्यपहरण की बात स्वीकार की। दिनाँक 29.09.2015 को नागपुर में अभियुक्तगण के घर की तलाशी लेने पर 6.50 लाख रुपये नकद, सोने का ब्रेसलेट, सोने की अंगूठी और विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए। व्यपहृत व्यक्ति ने दिनाँक 01.10.2015 को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित पहचान परेड में अभियुक्तगण की विधिवत पहचान की। इसके अतिरिक्त, व्यपहृत व्यक्ति ने दिनाँक 03.10.2015 को आयोजित पहचान परेड में सोने के आभूषणों की भी विधिवत पहचान की। समग्र विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के समक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364क/34, 392/34 और 120ख के अधीन आरोप विरचित किए, जिन्हें अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा। अपने प्रकरण को पुष्ट करने के लिए अभियोजन ने 20 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के प्रकरण में अपने विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। उनकी ओर से बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

04. संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। अतः ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

05. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्नानुसार है:

(क) यह कि पुलिस द्वारा आयोजित पहचान परेड का कोई महत्व नहीं है क्योंकि पहचान परेड से पूर्व ही समाचार पत्र "पत्रिका" में उनकी तस्वीरें इस समाचार के साथ प्रकाशित हो चुकी थीं कि उन्होंने फिरौती के लिए अमित गोयल का व्यपहरण किया था। अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थीगण ने अतिरिक्त साक्ष्य अर्थात "पत्रिका" समाचार पत्र प्रस्तुत करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन एक अन्तर्वर्ती आवेदन क्रमांक 03 प्रस्तुत किया था, और दिनांक 11.4.2023 के आदेश द्वारा यह अवधारित किया गया था कि इस आवेदन का निर्णय अपील की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

(ख) यह कि, पहचान परेड विधि विरुद्ध रुप से संचालित की गई थी क्योंकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त कार्यवाही के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत नहीं थे और पहचान परेड के प्रयोजनार्थ आवश्यक 10 व्यक्तियों की व्यवस्था स्वयं अपहृत द्वारा की गई थी। साक्षियों की उपस्थिति के लिए उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं उक्त कार्यवाही में कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं था। अ.सा.–2 अमित गोयल स्वीकार करता है कि उसने 25.09.2015 को रायपुर के पुलिस थाना का दौरा किया था और वहां एक अभियुक्त को देखा था, जिसका अर्थ यह है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की सूचना विवेचना अधिकारी , कुम्हारी द्वारा विवेचना अधिकारी, मोहन नगर को दिनाँक 25.09.2015 को भेजे जाने से पूर्व ही एक अभियुक्त को देख लिया था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) यह कि, चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों की तस्वीरें समाचार पत्र में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी थीं और उनकी पहचान सार्वजनिक हो चुकी थी, इसलिए न्यायालयीन पहचान निरर्थक और महत्वहीन हो जाती है।

(घ) यह कि, अभियुक्तगण के घर से बरामद सोने की वस्तुओं की अपहृत द्वारा की गई पहचान भी संदिग्ध है क्योंकि उक्त कार्यवाही के साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं; उक्त पहचान ज्ञापन दिनांक 3.10.2015 पर एक साक्षी, श्री वैभव अग्रवाल (अ.सा.– 1) के हस्ताक्षर नहीं हैं और उस समय पुलिस अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। उक्त कार्यवाही के दोनों साक्षियों ने यह कथन किया है कि उन्होंने ज्ञापन को नहीं पढ़ा था और पुलिस के दबाव में उस पर हस्ताक्षर किए थे।

(ङ) यह कि, विवेचना अधिकारी सुरेंद्र श्रीवास्तव (अ.सा.–18) ने अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 22 में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने की जा रही बरामदगी के संबंध में नागपुर की स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था। विवेचना अधिकारी, अपने अधिकारिता से बाहर किसी भी कार्यवाही को संचालित करने से पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित करने की विधिक प्रक्रिया के विचलन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहे।

(च) यह कि, अभियोजन यह साबित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त से बरामद की गई राशि वही फिरौती की राशि थी। इसके अतिरिक्त, बरामद की गई सोने की वस्तुओं के स्वामित्व को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(छ) यह कि, बरामदगी दिनाँक 29.09.2015 को की गई है और बरामद सोने की वस्तुओं की पहचान दिनाँक 03.10.2015 को की गई है, किंतु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि इस अवधि के दौरान बरामद वस्तुओं को सीलबंद स्थिति में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था।

(ज) यह कि, इसी प्रकार के अपराध के लिए अपराध क्रमांक 174/2015 के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 8/2016 में दिनांक 13.03.2019 को पारित निर्णय द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है। इस निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि मेमोरेंडम कथन, बरामदगी और पहचान की कार्यवाहियाँ अत्यधिक प्रश्नयोग्य और संदेहास्पद हैं।

(झ) यह कि, अपीलार्थीगण के घर से नकद राशि और सोने के आभूषणों की बरामदगी अत्यधिक संदेहास्पद है क्योंकि साक्षी ने मोहन नगर पुलिस थाने में बरामदगी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, बरामद वस्तुओं को कभी सीलबंद नहीं किया गया था और बरामदगी ज्ञापन में किसी भी नमूना सील का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, बरामद वस्तुओं को न तो कभी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही विचारण के दौरान अपीलार्थीगण को दिखाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ञ) यह कि, दिनांक 26.09.2015 को अभियुक्त/अपीलार्थी अपराध क्रमांक 174/15 में कुम्हारी पुलिस थाने की अभिरक्षा में थे और दिनाँक 26.09.2015 को विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी लक्ष्मण कुमेटी (अ.सा.–15) ने अभियुक्तगण रवि बंसोड़, सनम, प्रवीण और रवींद्र से क्रमशः 9.30, 9.50, 10.25 और 11.30 बजे कबीर नगर, रायपुर में प्रदर्श पी/34, पी/36, पी/35 और पी/33 के माध्यम से बरामदगी की। उसी दिन अर्थात दिनाँक 26.09.2015 को ही वर्तमान अपराध क्रमांक 282/15 में कुम्हारी पुलिस थाना, दुर्ग में 11.20 बजे विवेचना अधिकारी सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा प्रदर्श पी/4 के माध्यम से अपीलार्थी रवींद्र का मेमोरेंडम कथन दर्ज किया जाना बताया गया है, जो कि पूरी तरह से असंभव है।

(ट) यह कि, अभियोजन द्वारा अपने प्रकरण की पुष्टि के लिए शिकायतकर्ता, अपहृत और अभियुक्त व्यक्तियों के कॉल विवरण न तो प्राप्त किए गए और न ही प्रस्तुत किए गए, जबकि अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता साबित करने के लिए यह साक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंश था।

(ठ) यह कि, विवेचना अधिकारी सुरेंद्र श्रीवास्तव (अ.सा.–18) ने अपने अभिसाक्ष्य के कण्डिका 43 में स्वीकार किया है कि भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर से प्राप्त अभियुक्त रवींद्र कृष्ण देवांगन के बैंक विवरण को देखकर वह यह नहीं बता सकते कि उसके खाते में राशि किसने जमा की थी। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उक्त बैंक विवरण पर बैंक अधिकारियों की कोई सील या हस्ताक्षर नहीं हैं और यह एक कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस बैंक विवरण के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के अधीन प्रमाण पत्र की मांग नहीं की थी। इस प्रकार, दस्तावेज़ के ऐसे अंश की सुसंगता और स्वीकार्यता संदिग्ध है।

(ङ) यह कि, अ.सा.–18 सुरेंद्र श्रीवास्तव स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मधुबन नगर, बोर्सी स्थित शिकायतकर्ता और अपहृत के घर का पंचनामा नहीं बनाया और न ही इसके स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज़ जब्त किया।

(ढ) यह कि, अ.सा.–18 ने स्विफ्ट डिजायर कार की जब्ती नहीं की, जिसका उपयोग कथित तौर पर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा अपराध कारित करने में किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि उक्त कार पहले ही कुम्हारी पुलिस थाना द्वारा दिनाँक 24.09.2015 को अपराध क्रमांक 174/2015 में जब्त की जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने उक्त जब्ती पत्रक की प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की। यहाँ तक कि उक्त कार की कोई तस्वीर भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई।

(ण) यह कि, संपूर्ण अभियोजन कहानी इस तथ्य पर आधारित है कि अमित गोयल कथित तौर पर कैम्बियन होटल के सामने अभियुक्त व्यक्तियों की कार में बैठा था, यद्यपि, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो उक्त कहानी का समर्थन करता हो, क्योंकि न तो अभिलेख पर कोई पंचनामा या चक्षुदर्शी साक्षी है और न ही विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नजरी नक्शा में इसका उल्लेख है।

(त) यह कि, भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध गठित करने के लिए आवश्यक सभी घटक अभियोजन द्वारा साबित नहीं किए गए हैं। व्यपहृत व्यक्ति को चोट पहुँचाने या मृत्यु की धमकी देने के संबंध में कोई साक्ष्य या चिकित्सा रिपोर्ट नहीं है और न ही उसे कोई चोट पहुँचाई गई थी। यद्यपि अभियुक्त व्यक्तियों से कथित तौर पर चाकू और रस्सियाँ बरामद की गई थीं, किंतु उन्हें विवेचना अधिकारी द्वारा कभी कब्जे में नहीं लिया गया। अमित गोयल के कथनानुसार यह स्पष्ट है कि उसे अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा न तो अभिरक्षा में रखा गया था और न ही मृत्यु या किसी प्रकार की चोट पहुँचाने की धमकी दी गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपरोक्त तर्कों के दृष्टिगत, आक्षेपित निर्णय विधिक रूप से संधारणीय नहीं है और इस प्रकार यह अपास्त किए जाने तथा अपीलार्थीगण समस्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में **देवराज देजू सुवर्णा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 1994 सीआरएलजे 3602; निरंजन लाल विरुद्ध हरियाणा राज्य, 1995 सीआरएलजे 248; बलकार सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 सीआरएलजे 77 इलाहाबाद; विजयन उर्फ राजन विरुद्ध केरल राज्य, एआईआर 1999 एससी 1086; रवि उर्फ रविचंद्रन विरुद्ध राज्य, प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक,** (2007) 15 एससीसी 372; **वरुण चौधरी विरुद्ध राजस्थान राज्य, एआईआर 2011 एससी 72; मुस्तकीन विरुद्ध राजस्थान राज्य, एआईआर 2011 एससी 2769; विजय कुमार विरुद्ध राजस्थान राज्य,** (2014) 3 एससीसी 412; **मनोहर लाल शर्मा विरुद्ध प्रधान सचिव,** (2014) 2 एससीसी 532; **अर्जकुन पंडितराव खोतकर विरुद्ध कैलाश कुशनराव गोरंतयाल व अन्य, सिविल अपील क्रमांक 20825–20826/2017, निर्णय दिनांक 14.7.2020; शेख अहमद विरुद्ध तेलंगाना राज्य, दाण्डिक अपील क्रमांक 533/2021 (विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) क्रमांक 308/2021)** निर्णय **दिनांक 28 जून, 2021; गिरीशन नायर व अन्य विरुद्ध केरल राज्य,**

(2023) 1 एससीसी 180; तथा **विलियम स्टीफन विरुद्ध तमिलनाडु राज्य व एक अन्य, (2024) 5 एससीसी 258** के प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

06. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के तर्क का विरोध करते हुए यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के उचित विवेचना के उपरांत दोषसिद्धि एवं दंडादेश का आक्षेपित निर्णय उचित रुप में पारित किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, वर्तमान अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

इस संबंध में **हेमा विरुद्ध राज्य, (2013) 10 एससीसी 192; महबूब अली व एक अन्य विरुद्ध राजस्थान राज्य, (2016) 14 एससीसी 640; योगेश सिंह विरुद्ध महाबीर सिंह व अन्य, एआईआर 2016 एससी 5160;** और **झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा सी.आर.आर. क्रमांक 1118/2022 भोलू सिंह व अन्य विरुद्ध झारखंड राज्य** के प्रकरण में पारित **आदेश दिनांक 28.6.2024** का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

08. जहाँ तक अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन दाण्डिक अपील क्रमांक 1585/2019 में प्रस्तुत आवेदन अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 03 का संबंध है, विवेचना अधिकारी अ.सा.–18 सुरेंद्र श्रीवास्तव अपने कथन के कण्डिका 56 में कथन करते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों की तस्वीरें दिनाँक 26.9.2015 को दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" में प्रकाशित हुई थीं या नहीं। उन्होंने दिनाँक 26.9.2015 को प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" की छायाप्रति के आधार पर सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्वीकार की। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विचारण के दौरान, दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" की छायाप्रति अ.सा.–18 को दिखाई गई थी और इस बिंदु पर उनसे प्रतिपरीक्षण किया गया था। ऐसा होने पर, इस प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इस आवेदन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इस अतिरिक्त दस्तावेज़ को प्रदर्श करने तथा उक्त बिंदु पर विचारण संचालित करने के लिए प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता है। अतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अधीन प्रस्तुत आवेदन (अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 03) को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

09. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364क/34, 392/34 और 120ख के अधीन आरोप विरचित गए थे और

मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को इन धाराओं के अधीन दोषसिद्ध एवं दंडित किया, जैसा कि इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित है।

10. अ.सा.–2 अमित गोयल यह कथन करता है कि उसे 12 जुलाई को रायपुर से रवींद्र देवांगन का फोन आया था, जिसने उससे उसका घर बेचने के लिए समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन के बारे में पूछताछ की और उसे घर दिखाने का अनुरोध किया। उसने शाम को इस फोन कॉल के बारे में अपने भाई आशीष गोयल को सूचित किया। अगले दिन उसे फिर से दूसरे नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसने कल उसे फोन किया था और उसने बिक्री के लिए घर दिखाने का अनुरोध किया। उस पर उसने (अ.सा.–2) उत्तर दिया कि वह घर नहीं दिखाता है, वह उसे स्थान बता देगा और मौके पर पहुँचने के बाद, वहां रहने वाला एक लड़का उसे घर दिखा देगा। हालांकि, जब उन्होंने उसके द्वारा ही घर दिखाए जाने पर जोर दिया क्योंकि वे दुर्ग–भिलाई के रास्तों से परिचित नहीं थे, तो उसने उनसे मिलने की जगह के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि उसे दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास आना चाहिए। इसके बाद, उन्होंने उसे फिर से फोन किया और कहा कि वे 10 मिनट के भीतर पहुँच रहे हैं, जिस पर उसने उन्हें ग्रीन चौक पर रुकने के लिए कहा जहाँ वह आ रहा है। कुछ समय बाद वहां एक सफेद रंग की कार रुकी और उसमें से एक लड़का उतरा। इस मोड़ पर, विचारण न्यायालय ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों को दिखाते हुए इस साक्षी से पूछा कि वह लड़का कौन था। इस पर, इस साक्षी ने उत्तर दिया कि उस समय वह उसका नाम नहीं जानता था लेकिन आज वह जानता है कि वह रवींद्र कृष्ण देवांगन है। विचारण न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को सत्यापित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह साक्षी कथन करता है कि अभियुक्त ने उससे हाथ मिलाया और पूछा कि क्या वह वही व्यक्ति है जो घर बेचना चाहता है और उसने सकारात्मक उत्तर दिया। कण्डिका 6 में वह कथन करता है कि जब उसने उन्हें फिर से बताया कि वह उन्हें रास्ता और स्थान बता देगा और उन्हें स्वयं जाना चाहिए, तो अभियुक्त रवींद्र ने कहा कि वे रास्तों से परिचित नहीं हैं और साथ चलने का आग्रह किया। जब उसने उन्हें अपने स्वयं के वाहन से जाने के लिए कहा और वह अपने वाहन से आएगा, तो अभियुक्त रवींद्र ने कहा कि अलग–अलग वाहनों से जाने के बजाय उसे उनके साथ चलना चाहिए। इस पर, वह (अ.सा.–2) रवींद्र और प्रवीण घाटे के साथ उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया; वाहन अभियुक्त सनम सुनील डोंगरे द्वारा चलाया जा रहा था और अभियुक्त रवि उसके बगल में बैठा था। इस चरण पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों से पूछकर इस साक्षी द्वारा बताए गए इन सभी नामों को सत्यापित किया।

12. कंडिका 9 में वह कथन करता है कि कॉलेज देखने के बाद, जब लगभग 2 बजे वाहन ने यू–टर्न लिया, तब अभियुक्त प्रवीण ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसका सिर नीचे की ओर दबा दिया। अभियुक्त रवींद्र ने भी उसे पकड़ लिया और कहा कि वे उसे कुछ नहीं करेंगे और पैसे मिलने के बाद उसे

छोड़ देंगे। वह कथन करता है कि अभियुक्तगण में से एक ने उसकी पीठ पर चाकू अड़ा दिया, उसके हाथ पीछे बांध दिए, पैर बांध दिए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। वह कथन करता है कि इसके पश्चात उसे दो अभियुक्तगण के मध्य ऐसी स्थिति में लिटा दिया गया ताकि वह बाहर से दिखाई न दे सके। वह कथन करता है कि जब उसने उन्हें छोड़ने का अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि वे 10 लाख रुपये मिलने के बाद ही उसे छोड़ेंगे। हालांकि, जब उसने बताया कि वर्तमान में उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने गाली–गलौज शुरू कर दी और उसे जान से मारने की धमकी दी। उसी समय, अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट, नकदी, मोबाइल और कार की चाबी छीन ली। वह कथन करता है कि जब उसने अभियुक्तगण से कहा कि यदि वे उसकी बात उसके छोटे भाई से करा दें तो वह पैसों का इंतजाम कर सकता है, तब उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से उसकी बात उसके भाई से कराई। उसने अपने भाई को बताया कि उसका व्यपहरण कर लिया गया है और व्यपहरणकर्ता पैसों की मांग कर रहे हैं, जिस पर उसके भाई ने उत्तर दिया कि वह पैसों का इंतजाम कर देगा। इसके पश्चात, अभियुक्त व्यक्तियों ने भी उसके भाई से बात की और उसे पैसों की व्यवस्था करने को कहा तथा बताया कि वे उसे 1 से 1 ½ घंटे के बाद कॉल करेंगे। तत्पश्चात, अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे (अमित गोयल) कार में 1 से 1 ½ घंटे तक इधर–उधर घुमाया। वह कथन करता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पुनः उसके भाई को कॉल किया और उसे शाम लगभग 7–8 बजे पैसों के साथ अकेले टाटीबंध चौक आने को कहा। कुछ समय बाद अभियुक्त व्यक्ति उसे (अभियोजन साक्षी–2) किसी स्थान पर ले गए जहाँ उन्होंने उसके हाथों और पैरों में बंधी रस्सी ढीली कर दी और उसे वहां बैठा दिया। वह कथन करता है कि चूंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वह उस स्थान को देख नहीं सका, किंतु वह किसी घर जैसा था जहाँ पंखा भी चल रहा था। कंडिका 18 में वह कथन करता है कि वह केवल अभियुक्त रवींद्र कृष्ण देवांगन ही था जो उससे पूरे समय बात कर रहा था। जब न्यायालय ने यह पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह केवल रवींद्र ही था जो उससे बात कर रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी, तो उसने स्पष्ट किया कि चूंकि जब वह अभियुक्त व्यक्तियों से मिला था, तब रवींद्र कृष्ण ने उससे हाथ मिलाया था और उससे बात की थी, इसलिए वह उसे पहचानता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियोजन साक्षी–2 अमित गोयल आगे कथन करता है कि उसके भाई से फिरौती की रकम प्राप्त करने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे उरला में छोड़ दिया और उसे उसका मोबाइल और उसकी कार की चाबी वापस कर दी। जब उसने मोबाइल के माध्यम से अपने भाई को सूचित किया कि वह उरला में है, तो उसने उसे सागर गोयल को फोन करने की सलाह दी जो उसे वहां से ले जाएगा। तब उसने सागर को फोन किया और उसे उरला स्थित एक फैक्ट्री के पास आने को कहा। तत्पश्चात, विवेक, सागर और क्राइम ब्रांच का एक व्यक्ति उसे लेने वहां आए।

प्रतिपरीक्षण में उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उक्त मकान बेचने के बाद, राशि का भाइयों के बीच वितरण किया जाना था और उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उक्त राशि के वितरण के संबंध में भाइयों के बीच कोई विवाद है। कंडिका 33 में उसने इस सुझाव से इनकार किया कि

वह जुए में 10 लाख रुपये हार गया था, इसलिए उसने यह झूठी कहानी गढ़ी। वह स्वीकार करता है कि मुक्त होने के बाद वह पुलिस थाना नहीं गया बल्कि सीधे अपने घर चला गया। वह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि मोहन नगर पुलिस थाना में कथन करते समय उसे अभियुक्तगण के नाम ज्ञात नहीं थे। जब उसे रायपुर के डी.डी. नगर पुलिस थाना बुलाया गया था, उस समय वहां केवल एक ही अभियुक्त उपस्थित था। वह स्वीकार करता है कि उसे डी.डी. नगर पुलिस थाना बुलाया गया था और अगले दिन जब कुम्हारी पुलिस थाना में व्यपहरण की घटना की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, तो उसे यह याद नहीं है कि समाचार पत्र में अभियुक्तगण के नाम और फोटो प्रकाशित हुए थे या नहीं।

14. इस साक्षी के अनुसार, उसने तहसील कार्यालय दुर्ग के परिसर में पहचान परेड मेमो प्रदर्श पी./1 के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी। यह पहचान परेड कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनाँक 01.10.2015 को आयोजित की गई थी। विवेचना अधिकारी ने दिनाँक 26.09.2015 को समाचार पत्र में सभी अभियुक्तगण के फोटो प्रकाशित होने की बात स्वीकार की है। अतः, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पहचान परेड मेमो प्रदर्श पी./1 की विश्वसनीयता पर कड़ा ऐतराज जताया। हालांकि, अभियोजन साक्षी–2 अमित गोयल के कथन से यह स्पष्ट है कि वह सभी अभियुक्तगण के साथ उनकी कार में गया था और लगभग 8–9 घंटे उनके साथ रहा था। उसके अभिसाक्ष्य की कंडिका 6 और 7 से यह स्पष्ट है कि उसने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त रवींद्र कृष्ण देवांगन की पहचान की कि यह वही है जिसने उससे हाथ मिलाया था; वह (अ.सा.–2) रवींद्र और प्रवीण घाटे के साथ उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था; वाहन अभियुक्त सनम सुनील डोंगरे द्वारा चलाया जा रहा था और अभियुक्त रवि उसके बगल में बैठा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभियोजन साक्षी–5 आशीष गोयल, जो अमित गोयल (अ.सा.– 2) का भाई है, मुख्य–परीक्षण में कथन करता है कि दोपहर लगभग 12:30 बजे उसका भाई घर दिखाने गया था और लगभग 3:30 बजे उसे अपने भाई अमित का फोन आया, जिसने उसे अपने व्यपहरण के बारे में सूचित किया और 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। अभियुक्तगण में से एक ने भी उससे दस लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा, अन्यथा उसके भाई को जान से मार देने की धमकी दी और पुलिस को इसकी सूचना न देने की चेतावनी भी दी। इसके बाद उसने अपने परिवार के सदस्यों और चाचा के साथ प्रकरण पर चर्चा की और फिर वे मोहन नगर पुलिस थाना गए, जहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जो कि प्रदर्श पी./2 के रूप में है और जिस पर 'ए से ए' भाग तक उसके हस्ताक्षर हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी./2) से यह स्पष्ट है कि इसे आशीष गोयल द्वारा उसी दिन अर्थात् दिनाँक 13.07.2025 को 18:25 बजे दर्ज कराया गया था। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसके भाई का एक स्विफ्ट कार में सवार कुछ लोगों द्वारा व्यपहरण कर लिया गया है और वे उसे छोड़ने के बदले फिरौती की मांग कर रहे हैं।

16. अभियोजन साक्षी–12 कृष्ण यादव कथन करता है कि वह बोरसी स्थित आशीष गोयल और अमित गोयल के नवनिर्मित मकान में कार्य कर रहा है। घटना की तिथि को अमित गोयल ने उसे फोन पर घर को खुला रखने के लिए कहा था क्योंकि वह कुछ लोगों के साथ घर दिखाने आ रहा है। कुछ समय बाद, दोपहर लगभग 2 बजे अमित गोयल वहां चार व्यक्तियों के साथ आया। वह कथन करता है कि भैया (अमित गोयल) और दो लड़के कार से उतरे और अमित ने उन दो लड़कों को घर दिखाया। दो लड़के कार में ही बैठे थे और वह उन्हें देख नहीं सका। हालांकि, उसने उन लड़कों को पहचानने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वह दूसरी तरफ था। वह कथन करता है कि कुछ समय बाद, अमित उनके साथ कार में वापस चला गया और शाम को उसे एक पुलिसकर्मी से पता चला कि अमित का व्यपहरण हो गया है।

17. अभियोजन साक्षी–3 राजकुमार गोयल, जो अमित गोयल के चाचा हैं, कथन करते हैं कि उन्हें आशीष गोयल द्वारा सूचित किया गया था कि अमित गोयल का व्यपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में दस लाख रुपये की मांग की जा रही है। तत्पश्चात उन्होंने पैसों की व्यवस्था की और मोहन नगर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। उन्होंने व्यपहरणकर्ताओं को फिरौती देकर अमित को छुड़ाने के लिए अपने पुत्र सागर को आशीष के साथ रायपुर भेजा। फिरौती मिलने के बाद, अमित को रात लगभग 12 बजे छोड़ दिया गया और तब सागर और आशीष, अमित को उनके पास लेकर आए। वह कथन करते हैं कि अमित बहुत भयभीत था और काफी रो रहा था। बाद में, अमित ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि दोनों भतीजों (आशीष गोयल और अमित गोयल) के बीच संपत्ति को लेकर कोई विवाद है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभियोजन साक्षी–4 सागर गोयल कथन करता है कि वह आशीष गोयल के साथ अलग–अलग वाहनों में फिरौती की रकम लेकर रायपुर गया था। आशीष सफेद रंग की रिट्ज़ कार चला रहा था जबकि वह मोटरसाइकिल पर सवार था। आशीष मोबाइल पर अभियुक्तगण से बात कर रहा था और आशीष ने उसे बताया कि अभियुक्त व्यक्ति उसे रिंग रोड क्रमांक 1 पर टाटीबंध के आगे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास बुला रहे हैं। आशीष ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में कार रोकी और वहां बैग रख दिया। जैसे ही आशीष ने अपना वाहन टाटीबंध की ओर मोड़ा, उसने देखा कि एक लड़का बाइक पर आया और उक्त बैग उठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने अमित की तलाश की और अंततः वह उरला में मिला। वह कथन करता है कि अमित बहुत रो रहा था, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत दयनीय थी और वह भयभीत था। वह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि व्यपहरणकर्ताओं द्वारा छोड़े जाने के बाद, वे अमित को दुर्ग ले आए और इस बीच उन्होंने रायपुर, मोहन नगर, दुर्ग के पुलिस थानों या किसी अन्य पुलिस थाने को सूचित नहीं किया।

19. अभियोजन साक्षी–7 लोकेश सिंह, मेमोरेंडम और जब्ती का साक्षी है। उसने प्रदर्श पी./4, पी./6, पी./8, पी./10 के मेमोरेंडम कथनों और जब्ती पत्रकों प्रदर्श पी./5, पी./7, पी./9 और पी./11 पर 'ए से ए' भाग तक अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। वह पहचान परेड ज्ञापन प्रदर्श पी./1 का भी साक्षी है और उस पर 'सी से सी' भाग तक अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है। वह कथन करता है कि अमित गोयल ने उसके समक्ष प्रदर्श पी./4 के अनुसार सोने की चेन/ब्रेसलेट और सोने की अंगूठी की भी पहचान की थी, जिस पर 'B से B' भाग तक उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में वह स्वीकार करता है कि वह पिछले तीन वर्षों से अमित गोयल के घर पर वाहन चालक के रूप में कार्य कर रहा है और 6,000/– रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि वह अमित गोयल के कहने पर इस प्रकरण में साक्षी बना है। वह स्वीकार करता है कि जब वह नागपुर गया था, तब उसके साथ 4–5 पुलिसकर्मी थे। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह तवेरा वाहन बुक करके पुलिस के साथ नागपुर गया था। वह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि जब वह कुम्हारी पुलिस थाना गया था, उस दिन अभियुक्तगण को वहां हथकड़ी लगाकर रखा गया था। वह कथन करता है कि जब वह रवींद्र कृष्ण के घर के अंदर गया, तो वहां उसके पिता, माता और बहन मौजूद थे। कंडिका 14 में वह कथन करता है कि जब वह अभियुक्त रवि के घर के अंदर गया, तो घर में एक महिला थी जिसे वह नहीं जानता। वह कथन करता है कि रवींद्र और रवि के घरों के बीच की दूरी लगभग 10–11 किमी है। वह कंडिका 25 में स्वीकार करता है कि उसे नागपुर में रवींद्र के घर से उसके माता और पिता से की गई जब्ती के बारे में जानकारी नहीं है। उसने इस तथ्य के बारे में भी अनभिज्ञता व्यक्त की कि शरद नामक कोई व्यक्ति उसके साथ गया था या नहीं। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह अमित गोयल के दबाव में झूठा कथन कर रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियोजन साक्षी–11 शरद कुमार, जो मेमोरेंडम और जब्ती का एक अन्य साक्षी है, ने भी सभी दस्तावेजों पर 'बी से बी' भाग तक अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया। हालांकि, उसने अपने समक्ष किसी भी जब्ती की कार्यवाही होने से इनकार किया। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, जहाँ उसने जब्ती पत्रक प्रदर्श पी./5 के अनुसार जब्ती की कार्यवाही से इनकार किया। यद्यपि उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त रवींद्र कृष्ण उसके सामने पुलिस के साथ भारतीय स्टेट बैंक, लिंक ऑफिस (नागपुर) गया था, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की जब्ती होने के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की। वह स्वीकार करता है कि अभियुक्त रवींद्र कृष्ण ने जहाँ–जहाँ संकेत किया, वह वाहन में पुलिस और अभियुक्त को वहां ले गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पूरे समय पुलिस और अभियुक्त रवींद्र कृष्ण के साथ रहा।

21. इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों के मेमोरेंडम कथनों और उनके अनुसरण में की गई जब्ती से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने व्यपहरण और स्नैचिंग की बात स्वीकार की थी। अभियुक्त प्रवीण के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी./6) के अनुसार, प्रदर्श पी./7 के माध्यम से उससे 1,000/– रुपये जब्त किए गए। अभियुक्त रवि के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी./8) के फलस्वरूप प्रदर्श पी./9 के माध्यम से 2,500/– रुपये की जब्ती हुई और अभियुक्त सनम सुनील के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी./10) पर 1,500/– रुपये जब्त किए गए (प्रदर्श

पी./11)। हालांकि, घटनास्थल निरीक्षण पंचनामा (प्रदर्श पी./12) के अनुसार, कोई आभूषण या धन बरामद नहीं हुआ था। जब्ती पत्रक प्रदर्श पी./13 के अनुसार, अभियुक्त रवींद्र कृष्ण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लिंक ऑफिस, नागपुर से निकाली गई 38,000/– रुपये की राशि जब्त की गई थी।

पुलिस ने पुलिस थाना–कुम्हारी, जिला दुर्ग में दर्ज एक अन्य अपराध क्रमांक 174/2015 से संबंधित कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, अर्थात् प्रदर्श पी./20, पी./21, पी./26, पी./27, पी./28 और पी./29। उक्त अपराध क्रमांक में, अभियुक्त रवींद्र देवांगन का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी./20) दिनांक 24.09.2015 को दर्ज किया गया था, जिसमें उसने वर्तमान अपराध कारित करना स्वीकार किया था और जब्ती पत्रक प्रदर्श पी./29 के अनुसार, उसकी स्विफ्ट कार से कुल 6 लाख रुपये और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। इस मेमोरेंडम से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त रवींद्र देवांगन ने 24.09.2015 को अमित गोयल के व्यपहरण की बात स्वीकार की थी, किंतु इस प्रकरण में पुलिस ने मेमोरेंडम और जब्ती प्रदर्श पी./4 से पी./13 तैयार किए और अभियुक्त प्रवीण घाटे, रवि और सनम सुनील से क्रमशः केवल 1,000/–, 2,500/– और 1,500/– रुपये ही जब्त किए।

22. अभियोजन साक्षी–15 लक्ष्मण कुमेटी, जो पुलिस थाना–कुम्हारी के थाना प्रभारी थे, ने अपराध क्रमांक 174/2015 की विवेचना की थी। वह कथन करता है कि उसने अभियुक्त रवींद्र कृष्ण का मेमोरेंडम दर्ज किया था और मूल मेमोरेंडम अपराध क्रमांक 174/2015 से प्रोद्भूत सत्र विचारण क्रमांक 8/2018 में प्रस्तुत है। उसने दिनाँक 25.09.2015 को पुलिस थाना–मोहन नगर को प्रदर्श पी./21 के माध्यम से लिखित सूचना भी भेजी थी। प्रदर्श पी./21 के दस्तावेज निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"कार्यालय थाना प्रभारी धाना कुम्हारी जिला– दुर्ग

प्रति,

थाना प्रभारी महोदय थाना मोहन नगर

जिला– दुर्ग (छ.ग.)

विषय–थाना कुम्हारी के अप० क्र० 174/15 धारा 365, 364 (A), 368/34 भादवि के प्रकरण में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त 1) रविन्द्र देवांगन 2) सनम सुनील ढोगरे 3) रवि बसोढ़ 4) प्रवीण घाटे कि जानकारी के संबंध में

महोदय,

निवेदन है कि थाना कुम्हारी में दि० 24/09/15 को उक्त विषयांकित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो पूछताछ के दौरान दि० 13/07/15 को अमित गोयल का व्यपहरण कर फिरौती का रकम 10

लाख रुपये लेना और कुछ पैसो को खर्च कर देना तथा खर्च से बाकी शेष रकम अपने पास नागपुर क्षेत्र में छिपा कर रखना बता रहे हैं। कृपया आरोपियों की पूछताछ हेड सादर सूचनार्थ ।

थाना प्रभारी

पुलिस थाना कुम्हारी

जिला– दुर्ग (छ.ग.)"

23. अभियोजन साक्षी–18 सुरेंद्र श्रीवास्तव, जो वर्तमान प्रकरण के विवेचना अधिकारी है, कथन करते हैं कि उन्होंने दिनाँक 13.07.2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध क्रमांक 282/2015 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जो प्रदर्श पी./2 है और उन्होंने इस पर 'बी से बी' भाग तक अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। कंडिका 4 में वे कथन करते हैं कि दिनाँक 26.09.2015 को सुबह 11:20 बजे उन्होंने पुलिस थाना–कुम्हारी में अभियुक्त रवींद्र कृष्ण देवांगन का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी./4 के माध्यम से दर्ज किया। उसी दिन उन्होंने प्रदर्श पी./6 के माध्यम से अभियुक्त प्रवीण का कथन, प्रदर्श पी./8 के माध्यम से अभियुक्त रविदादा राव बसोड का मेमोरेंडम और प्रदर्श पी./10 के माध्यम से अभियुक्त सनम सुनील डोंगरे का मेमोरेंडम दर्ज किया। वे कथन करते हैं कि दिनाँक 29.09.2015 को अभियुक्त रवींद्र के मेमोरेंडम के आधार पर उन्होंने घटनास्थल की तलाशी ली और घटनास्थल निरीक्षण पंचनामा प्रदर्श पी./12 तैयार किया। जब्ती पत्रक प्रदर्श पी./5 के अनुसार, उन्होंने अभियुक्त रवींद्र द्वारा उसके घर से पेश किए जाने पर एक रेक्सिन बैग बरामद किया, जिसमें 6.45 लाख रुपये, 15 ग्राम का एक सोने का ब्रेसलेट, 7 ग्राम की एक सोने की अंगूठी और गोयल ब्रदर्स के दो विजिटिंग कार्ड थे। प्रतिपरीक्षण में वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपराध कारित करने में प्रयुक्त वाहन को जब्त नहीं किया था क्योंकि उसे कुम्हारी पुलिस थाना द्वारा पहले ही एक अन्य प्रकरण में जब्त कर लिया गया था, और इसलिए, वर्तमान प्रकरण में उन्होंने दूसरे प्रकरण में तैयार किए गए मेमोरेंडम कथनों और जब्ती पत्रकों की प्रमाणित छायाप्रति दाखिल की। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त रवींद्र द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर से 38,000/– रुपये निकाले गए थे और उन्होंने उसे प्रदर्श पी./13 के माध्यम से जब्त किया। वे कंडिका 48 में यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने प्रदर्श पी./5 के अनुसार जब्त की गई सोने की अंगूठी और सोने के ब्रेसलेट के स्वामित्व के संबंध में अपहृत व्यक्ति से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया था। फिर वे स्वतः कहते हैं कि अपहृत अमित गोयल ने जब्त सोने की अंगूठी और सोने के ब्रेसलेट का विवरण दिया था और अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने मेमोरेंडम कथनों में अमित गोयल से उक्त संपत्ति की लूट के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने कंडिका 72 में इस सुझाव से इनकार किया कि घटना की तारीख से एक महीने पहले अभियुक्त रवींद्र देवांगन, अपहृत अमित गोयल के विरुद्ध किसी लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने मोहन नगर पुलिस थाना आया था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि इस शिकायत पर उन्होंने अमित गोयल और आशीष गोयल से पूछताछ की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण में वे अपने इस कथन पर अडिग रहे कि मेमोरेंडम कथन दर्ज करने के बाद वे साक्षियों के साथ नागपुर में अभियुक्त रवींद्र कृष्ण और प्रवीण घाटे के घर गए थे।

अभियोजन साक्षी–7 लुकेश सिन्हा और अभियोजन साक्षी–11 शरद कुमार साहू ने भी विवेचना अधिकारी के इस कथन का समर्थन किया है कि वे पुलिस दल के साथ नागपुर गए थे, जहाँ विवेचना के दौरान कुछ जब्ती की कार्यवाही की गई थी।

24. अभियोजन साक्षी–2 अमित गोयल कथन करता है कि अभियुक्तगण ने उसका ब्रेसलेट और अंगूठी छीन ली थी, उसने पहचान ज्ञापन प्रदर्श पी./4 के माध्यम से ब्रेसलेट और अंगूठी की पहचान की। अभियोजन साक्षी–10 देवनारायण चंद्राकर, जो प्रदर्श पी./4 का साक्षी है, कथन करता है कि अमित गोयल ने उसके समक्ष अपने ब्रेसलेट और अंगूठी की पहचान की थी। प्रतिपरीक्षण में वह स्वीकार करता है कि उसे पहचान की कार्यवाही में शामिल होने के लिए कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। वह कथन करता है कि उसे याद नहीं है कि पहचान की कार्यवाही आयोजित करने के लिए कितने ब्रेसलेट और अंगूठियों को आपस में मिलाया गया था।

25. जब्ती पत्रक प्रदर्श पी./5 के अनुसार, अभियुक्त रवींद्र कृष्ण देवांगन के घर से उसके द्वारा पेश किए जाने पर एक रेक्सीन का बैग जब्त किया गया था, जिसमें 6.45 लाख रुपये, 15 ग्राम का एक सोने का ब्रेसलेट, 7 ग्राम की एक सोने की अंगूठी और गोयल ब्रदर्स के दो विजिटिंग कार्ड थे। यह जब्ती अभियुक्त रवींद्र कृष्ण देवांगन के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी./4 के आधार पर की गई थी और दोनों साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वे पुलिस दल के साथ अभियुक्त रवींद्र कृष्ण देवांगन के घर गए थे। यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा उनके अभिसाक्ष्यों में कुछ विरोधाभासों और लोप की ओर संकेत किया गया है, किंतु अपहृत अमित गोयल ने अपने व्यपहरण के बारे में सुस्पष्ट रूप से कथन किया है, और सभी चारों अभियुक्तगण तथा अपने उन आभूषणों की विधिवत पहचान की है जो अभियुक्त रवींद्र के घर से बरामद हुए थे।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **महबूब अली** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अपने निर्णय के कण्डिकाएँ 13, 14, 19 और 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> 13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुप्रयोग के लिए, संस्वीकृति कथन का केवल वही स्वीकार्य भाग तथ्य के रूप में पाया जाना चाहिए जो उस खोज का तात्कालिक कारण था; केवल वही हिस्सा विधिक साक्ष्य का भाग होगा, शेष नहीं। यदि किसी कथन में अभियुक्त से कुछ नया खोजा या बरामद किया जाता है, जो अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन दर्ज होने से पहले पुलिस की जानकारी में नहीं था, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 तब संदर्भित होती है जब किसी "तथ्य" का अभिसाक्ष्य दिया जाता है । "तथ्य" को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जो नीचे उद्धृत है:

"तथ्य" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती हैं– (1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य होः

(2) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

दृष्टांत:

(क) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, एक तथ्य है।

(ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है।

(ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है।

(घ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है. अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है. या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है।

(ङ) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है. एक तथ्य है।

"सुसंगत" – एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब कि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. सूबेदार विरुद्ध किंग एम्परर [एआईआर 1924 आल. 207] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त द्वारा स्वयं को और अन्यों को संलिप्त करते हुए किया गया कथन 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' नहीं कहा जा सकता। यद्यपि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में उपचारित नहीं किया जा सकता, परंतु इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रस्तुत सूचना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था: (एससीसी आनलाइन आल.कण्डिका 3)

"3. ... वादामाफ साक्षी और अपीलार्थीगण में से एक को व्यावहारिक रूप से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया था के समक्ष दोष स्वीकारोक्ति करते हुए कथन किए। उन्होंने आगे गिरोह के अन्य सदस्यों की एक सूची भी दी। तत्पश्चात, अधिकारी ने अपने वरिष्ठ

अधिकारी को एक लिखित प्रतिवेदन भेजा, जिसमें प्राप्त सूचना और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से प्राप्त अन्य सदस्यों के नाम शामिल थे। किसी प्रकार विद्वान न्यायाधीश ने इस पुलिस प्रतिवेदन को, जो कि मात्र एक संस्वीकृति प्रतिवेदन है, "प्रथम सूचना रिपोर्ट" के रूप में वर्णित किया है। अब, प्रथम सूचना रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन एक रिपोर्ट का सुप्रसिद्ध तकनीकी विवरण है, जो किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना देती है। यह आमतौर पर शिकायतकर्ता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। यह भाषा अभियुक्त द्वारा किए गए कथन पर लागू नहीं होती। अभियुक्त द्वारा किए गए कथन को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहे जाने की नवीनता मेरे लिए इतनी विचित्र थी कि जब अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने न्यायाधीश द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के उपयोग पर आपत्ति करते हुए तर्क दिए, तो मैंने उस पर विचार नहीं किया।विद्वान न्यायाधीश ने अनुभव किया कि वे एक संस्वीकृति के प्रकरण को देख रहे हैं, किंतु वे क्षणिक रूप से यह समझने में असफल रहे कि वह दस्तावेज़ स्वयं में अग्राह्य था, और उस सूचना का उपयोग करने का एकमात्र तरीका धारा 27 ही था। अर्थात, अन्य अभियुक्तगण के संबंध में, साक्ष्य देने वाला अधिकारी कह सकता है: "मैंने उन्हें नारायण और ठकुरी से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किया। जब मैंने उन्हें गिरफ्तार किया, तो उन्होंने मुझे एक बयान दिया जिसके कारण मैंने इन लोगों को गिरफ्तार किया"। ऐसी सूचना का वैध रूप से केवल इतना ही उपयोग किया जा सकता है कि जब विचारण के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया जाए, तो बचाव पक्ष के लिए यह पूछकर ऐसे साक्ष्य की जांच करना संभव होगा कि उस समय किसी विशेष अभियुक्त के नाम का उल्लेख किया गया था या नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपरोक्त सिद्धांतों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि महबूब अली और मोहम्मद फिरोज के कथनानुसार तथ्य की खोज हुई थी। सह–अभियुक्त को अभियुक्त महबूब और फिरोज द्वारा की गई पहचान के आधार पर दबोचा गया था। यह तथ्य कि वह जाली नोटों का कारोबार कर रहा था, पुलिस के संज्ञान में उन्हीं के माध्यम से आया। अंजू अली से जाली करेंसी नोटों की बरामदगी भी की गई थी। इस प्रकार, उपरोक्त अभियुक्तगण को सह–अभियुक्त अंजू अली के बारे में जानकारी थी, जिसे उनके निशानदेही और उनकी पहचान के आधार पर पकड़ा गया था। ये तथ्य पुलिस की जानकारी में नहीं थे, इसलिए अभियुक्तगण के वे कथन जो तथ्य की खोज की ओर ले जाते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से ग्राह्य हैं। धारा 27, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में

निहित पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति की अग्राह्यता के सामान्य प्रावधानों का एक अपवाद प्रस्तुत करती है।

27. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में भी यह स्पष्ट है कि सभी अभियुक्तगण को अन्य अपराध क्रमांक के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जहाँ अपने मेमोरेंडम कथनों में उन्होंने अमित गोयल के वर्तमान व्यपहरण के विषय में खुलासा किया था। ऐसी सूचना दिए जाने पर, थाना–कुम्हारी की पुलिस ने थाना–मोहन नगर को लिखित सूचना भेजी, जिसके आधार पर अभियोजन साक्षी–18 विवेचना अधिकारी ने सभी अभियुक्तगण के मेमोरेंडम कथन दर्ज किए और उनके निशानदेही पर नागपुर जाकर अभियुक्त रविंद्र कृष्ण देवांगन के घर से आभूषण और नकदी बरामद की। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पहचान परेड और अन्य अभियुक्तगण से अल्प राशि की बरामदगी पर कड़ी आपत्ति जताई, परंतु अमित गोयल के कथन से यह स्पष्ट है कि उसके पास दिन के उजाले में अभियुक्तगण के साथ पर्याप्त समय था और वह लगभग 8–9 घंटे उनके साथ रहा था। न्यायालय में भी उससे पूछा गया कि उसने एक अभियुक्त की आवाज़ कैसे पहचानी, जिस पर उसने स्पष्ट किया कि वह अभियुक्त रविंद्र ही था जिसने उससे हाथ मिलाया था और पूरे समय उससे बात की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा यह अभिमत है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह सफलतापूर्वक साबित किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ही है जिन्होंने फिरौती के लिए अमित गोयल के व्यपहरण का आपराधिक षडयंत्र रचा एवं उसके अग्रसरण में, अमित गोयल का व्यपहरण किया और 10 लाख रुपये की फिरौती प्राप्त की तथा जान से मारने की धमकी देकर उसके आभूषण एवं अन्य सामान भी छीन लिए। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए निर्णयों के परिशीलन करने के पश्चात, हम पाते हैं कि तथ्यों में भिन्नता होने के कारण वे अपीलार्थीगण के लिए सहायक नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने भी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उनके उचित परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है और इस प्रकार, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क/34, 392/34 और 120 ख के अधीन दोषी ठहराना न्यायसंगत था।

29. जहाँ तक दंडादेश की मात्रा का प्रश्न है, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से दंडादेश को अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भोगी गई अवधि तक कम करने का निवेदन किया, क्योंकि वे 2016 से विचारण का सामना कर रहे हैं, पिछले लगभग 10 वर्षों से जेल में निरुद्ध हैं और ये अपीलें 2019 से लंबित हैं। यद्यपि, भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क के अधीन अपराध केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होने के कारण, दण्ड में किसी भी प्रकार की कमी की कोई संभावना नहीं है।

30. फलस्वरूप, दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार, खारिज की जाती है। चूंकि अपीलार्थीगण के जेल में होने की सूचना है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी, अभ्यर्पण आदि के संबंध में कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

इस निर्णय की एक प्रतिलिपि, मूल अभिलेख सहित, सूचना और अनुपालन हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए। इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक को भी, जहाँ अपीलार्थी दंडादेश भुगत रहे हैं, सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur